

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 115/2007

दायर तारीख 11.07.2007



- 1 परमानन्द पुत्र पावूदान जाति नायक नियासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर,

—: वादी

नाम

ग्यारसी पुत्री पावूदान पत्नि सुथालाल जाति नायक नियासी गोल तन गठयाडी तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

2. सुन्दरी पुत्री पावूदान पत्नि हनुमान जाति नायक नियासी कच्छी बरती रोड नं. 17 बी.के.आई. ए. जयपुर।
3. विदागी पुत्री पावूदान पत्नि हनुमान जाति नायक नियासी गोविन्दगढ, पाथर हाऊस के पीछे तहसील आमेर, जयपुर
4. मोहरी उर्फ लक्ष्मी पुत्री पावूदान पत्नि रामकुंवार जाति नायक नियासी माजरी खुद्र तहसील नीमराना, अलवर
5. रमेश उर्फ मंजू पुत्री पावूदान पत्नि मुकेश निभाजरी खुद्र तहसील नीमराना, जिला अलवर। भंवरी पत्नि पावूदान नायक हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर (फौद, नाम डजफ)
6. राजस्थान सरकार जारिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
8. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय विराटनगर, जिला जयपुर।
9. पटवारी पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा खातेदारी हक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपरिथत :- श्री आनन्दसिंह शेखावत अधिवक्ता वादी

श्री गोपाल टांक अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 व 6

सत्य-प्रतिलिपि

निर्णय

दिनांक :- 29.05.2012

उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हेक्टर गूगि वादी के पिता की खारोदारी गूगि है, जिस पर वादी अपने पिता के जीवनकाल से कायिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 वादी की बहिन हैं, जिनका विवाह वादी के पिता ने अपने जीवनकाल में कर दिया था और समय-समय पर वादी व उसका पिता, प्रतिवादी सं. 1 लगायत 5 के ससुराल में होने वाले ठींचे, पते पर अपनी हैसियत मुताबिक खर्चा लगाते रहे हैं एवं भात पेज का खर्चा लगाया है। वादी ही अपने वृद्ध भाता-पिता की सेवा-टहल, देखभाल करता है एवं आज भी वादी अपनी माता की सेवा-टहल करता है। वादी अपने पिता के एक मात्र

COMPAIRED BY

S. D. O.

संस्तान होने से बादी के पिता ने अपनी स्वच्छादित उक्त खातेदारी भूमि जरिए बसीयत बादी के हक में छोड़ी है, बसीयत बादी के पिता ने अपनी स्वच्छादित उक्त खातेदारी भूमि जरिए बसीयत बादी को जूदानी में लिखवाकर अपनी अगुला निशानी को है एवं गवाह भूगणना की अगुला निशानी तथा गवाह सीताराम के हस्ताक्षर कराये हैं। बसीयत दिनांक 20.02.2007 में बादी के कब्जे एवं स्वामित्व में है, जो बादी के पिता की मृत्यु होने के पहले य बाद में कोई अन्य बसीयत नहीं की पिता ने बादी के हक में बनीवाई बसीयत के पहले य बाद में कोई अन्य बसीयत नहीं बनवाई है। इस प्रकार यह बसीयत बादी के पिता की प्रथा एवं अन्तिम बसीयत होने से बादी अपने पिता का बसीयती वारिस है एवं बादी को उक्त खातेदारी भूमि का बसीयत नही आधार पर आता खुलवाने का पूरा-पूरा हक है। प्रतिवादी सं. 1 लगात 5 भू-मालिकता लोगों के बंधकाने में आकर एवं पटवारी हल्ला से मिलकर अपने नाम खातेदारी दर्ज कराकर भूमि को भीम खुर्द-खुर्द विक्रय करने पर उताऊ है। इन्होंने बादी ने बादपत्र त्रायत घोषणा खातेदारी हक एवं रथायी निबंधाळा का पेश कर निवेदन किया कि भूमि हल्ला द्वारा नगर 515/1.12, 518/1.41 कुल कितना 2 कुल रकमा 2.53 हेक्टेयर वाले ग्राम हस्तिनापुरा पटवार हल्ला नौगपुरा तहसील विराटनगर का खातेदार कायदकार घोषित किया जावे एवं तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल करावद कराया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिए रथायी निबंधाळा से सदैव के लिए पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण, बादी को उक्त भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग-उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की रेंजा देखल या गजाहत करित नहीं करें।

2. दावा याद जांच दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तर्फी की गई। प्रतिवादी सं. 1 व 6 की तर्फ से आदिबयाना श्री गोपाल टांक उपस्थित हुए एवं इक्यालिए जवाबदावा पेश कर बादी का दावा डिखी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रतिवादी संख्या 2 लगात 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी उपस्थित हुए तथा जवाबदावा पेश किया। अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी ने No Instruction Plead तारीख पेशी 03.01.2012 को अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी ने प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए किया जिस कारण प्रतिवादीगण को आवाज लगाई गई, प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए अतः उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में असल बसीयत पत्र पाबूदान नायक दिनांक 20.02.2007 प्रदर्श-1, नकल जनाबन्दी ग्राम हरिकिशनपुरा सर्वे 2060 से 2063 प्रदर्श-2, असल शपथ पत्र गवाह बसीयतनामा भूपाराम गणजारा दिनांक 20.02.2008 प्रदर्श-3, असल शपथ पत्र गवाह बसीयतनामा सीताराम नायक दिनांक 20.02.2008 प्रदर्श-4, इकरारनामा प्रतिवादी सं. 2 सुन्दरी देवी यहक परमानन्द प्रदर्श-5, इकरारनामा प्रतिवादी सं. 3 विदानी देवी यहक परमानन्द प्रदर्श-6 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में स्वयं बादी परमानन्द पी.डब्लू-1, सीताराम पी.डब्लू-2 व जगदीश उर्फ कालू पी.डब्लू-3 के शपथ पत्र पेश किए गए।

4. बहस वकुलाय सुनी गई। वकील बादी की बहस रही कि आरणी जेरवहस बादी के पिता की खातेदारी भूमि रही है जिसके यावत बादी के पिता ने अपने जीवकाल में जरिए बसीयत बादी के पक्ष में लिख दी थी, जरिए बसीयत बादी अपने पिता की खातेदारी भूमि



3. त्व-प्रतिलिपि
उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (मिथपुर)

COMPARED BY
S.D.O.
MIRJAPUR

पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 2 व 4 ने जरिए इकरारनामा में यह स्वीकार किया है कि पाबूदान पुत्र जन्म जाति नायक के हम 6 पुत्र/पुत्रिया हैं, जिनमें परमानन्द हमारा भाई है एवं उसी ने माता-पिता की देखभाल की है। हमारे पिता ने अस्तिमान दिनों में हमारे भाई परमानन्द के हक में वसीयत की थी, जिसकी हम सभी बहिनों को जानकारी रही है। वसीयत पत्र सही है और हमें मंजूर है। हम अपने पिता की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहती। मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी ने शपथ पत्र पेश कर अभिकथन किया कि हल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 हैक्टैपर भूमि मेरे पिता के नाम से अलाट हुई थी। इस जमीन पर मैं, मेरे पिता के जीवनकाल से ही कायत करता आ रहा हूँ, मेरे माता-पिता की सेवा भी मैं ही करती हूँ। मेरे पिता का एक में ही बेटा हूँ जिससे मेरे पिता ने अपनी स्वयं की बनाई हुई वसीयत मेरे हक में कराई है। उक्त वसीयत मेरे पिता की पहली एवं अन्तिम वसीयत है, जिस पर मेरे पिता एवं गवाह क अगूला निशानी एवं इस्ताहर हैं। गवाह वसीयताराम पुत्र सुवालाल पी.डब्ल्यू.-2 व जगदीश उर्फ काजू पुत्र वालूराम पी.डब्ल्यू.-3 ने उक्त वसीयत की ताईद की है, तथा अपने शपथ पत्र में अभिकथन किया है कि पाबूदान ने हमारे सामने ही वसीयत पत्र अगूला निशानी की है। पाबूदान के मरने के बाद परमानन्द ही पाबूदान की जमीन जायदाद पर कायज है एवं कायत कर रहा है। वसीयत के आधार पर परमानन्द का ही हक बनता है। परमानन्द ही कायत करता है। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 ने वादी के तथ्यों को लिखित में स्वीकार किया है। वादी ने अपना वाद यखूदी चादित किया है। वादी का वाद डिकी किए जाने योग्य है। वकील प्रतिवादी द्वारा वाद को वसीयत के आधार पर डिकी किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

5. पत्रावली पत्रावली पर उपलब्ध दरतावेजों का अवलोकन किया गया। यह सब वकील वादी पर मनन किया गया। वादी का वाद घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। विवेचनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है :-

अ. आराजी जंखवहस वाके ग्राम हरिकियनपुरा पटवार हल्का नौरंगपुरा तहसील विराटनगर के इलाक खशरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल कित 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टैपर भूमि पक्षकारान के पिता/पति पाबूदान पुत्र जगान नायक के नाम दर्ज रिकार्ड है। पाबूदान का देहान्त दिनांक 29.5.2007 हो गया था। पाबूदान के वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 6 वारिस है।

ब. प्रतिवादी सं. 1 व 6 द्वारा इक्यालिए जवाब पेश किए प्रतिवादी सं. 2, 3 द्वारा भी लिखित में दावा डिकी किए जाने, वसीयत की जानकारी होने एवं विवादित आराजी में हक, हिस्से का त्याग वादी के पक्ष में किए जाने की लिखित सहमति दी है। प्रतिवादी संख्या 4, 5 द्वारा तनकी के समर्थन में कोई दरतावेजी/मौखिक साक्ष्य/सयूत पेश नहीं किए हैं। इस कारण तनकीवार विवेचन किया जाना अपेक्षित नहीं रहा।

स. वादी परमानन्द विवादित आराजी अपने पिता की आवंटन से स्वअर्जित भूमि होना एवं पिता द्वारा विवादित आराजी की एक वसीयत दिनांक 20.02.2007 को वादी के पक्ष में निष्पादित किए जाने से वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा चाही है। वादी ने असल वसीयत प्रदर्श-1 व वसीयत के गवाह भूणाराम पुत्र बाबूलाल का शपथ पत्र प्रदर्श-3, वसीयत के



रज-पुतलिन
 छप खण्ड अधिकारी
 विराटनगर (जयपुर)


IMPAIRED BY
 S-0

दूसरे गवाह सीताराम पुत्र सुवालाल नायक का शपथ पत्र प्रदर्श-4 पेश किए हैं एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में भी बरसीयत के गवाह सीताराम पी.डब्ल्यू-2 के बयान कराए हैं, जिसने बरसीयत को सत्य एवं सही होना एवं पायूरान द्वारा उसके समाप्ति निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है। वादी स्वयं एवं स्वतंत्र गवाह पी.डब्ल्यू-3 जगदीश पुत्र यादू ने भी बरसीयत एवं वादी के विवादित आराजी पर कब्जे की मुष्टि की है। प्रतिवादी सं. 1 ग्यारसी, वादी की बहिन य वादी की माता प्रतिवादी सं. 6 ने भी इक्यालिए जवाब से याद के तथ्यों को स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 ने अपने लिखित इकरारनामों/सहमति पत्र प्रदर्श-5 एवं प्रदर्श-6 में वादी के पक्ष में लिखित बरसीयत को सत्य एवं सही होना एवं विवादित आराजी का वादी के पक्ष में इकर्याग कर हक हिस्सा नहीं चाहने यादत सहमति दी है।

6. उपर्युक्त विवेचना अनुसार वादी ने अपने याद को यथुची दरतावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से साबित किया है, जिसके आधार पर वादी का याद डिकी किये जाने योग्य है एवं वादी वादपत्र के माध्यम से चाहे गए अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

वादी का याद इस कदर डिकी किया जाता है कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा पटवार हल्का नारापुरा तहसील विराटनगर के हाल खसरा नम्बर 515/1.12, 518/1.41 कुल किता 2 कुल रकबा 2.53 हैक्टयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को सदैव के लिए रथायी निभेधाजा से पाबन्द किया जाता है कि विवादित भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल कारित नहीं करें। वादी को शान्तिपूर्वक काविज होकर काश्त, उपयोग-उपभोग करने देवे। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिए जाते हैं कि राजस्व रिफार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना बहन करें। पर्या डिकी तहरीर होये, निर्णय आज दिनांक 29.05.2012 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
वि. विराटनगर (Jaipur)

सत्य प्रतिनिधि

उप खण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

COMPAIRED BY
